एनसीआईसी / 27 / 2023–24 / **19 अक्टूबर, 2023**

सेवा में,

श्रीमान् मारुति सरन चौबे जी,
एडिशनल कमिश्नी ग्रेड–1
वाणिज्य कर (एसजीएसटी)
जयपुर हाउस, आगरा।

माननीय महोदय,

हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक में पधारने के लिए आपने अपनी सहमति प्रदान की इसके लिये हम आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अपने उच्च अधिकारियों के साथ चैम्बर भवन में पधारने पर हम आपका व विभाग से पधारे समस्त अधिकारियों को हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करते हैं।

वर्तमान में जीएसटी में आ रही व्यवहारिक समस्याओं की ओर हम आपका ध्यान निम्न प्रकार आकर्षित करना चाहते हैं :–

1. **जीएसटीआईएन सुविधा केन्द्र** :–विभाग में कम्प्यूटर असिसटेन्ट एवं एक नोडल अधिकारी के साथ पूरे समय सुविधा केन्द्र को संचालित किया जाए। उस नोडल अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए व प्रावधानों की जानकारी भी होनी चााहिए। वह अधिकारी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने में समक्ष्म होना चाहिए।

2. **छोटी–2 तकनीकी त्रुटियों के कारण जुर्माना** :–ई–वे बिल बनाते समय, इनवाईज बनाते समय व्यापार स्थल पर रिकोर्ड रखते समय व्यापारी द्वारा कुछ मामूली तकनीकी त्रुटियां हो जाती है जैसे– 1. केता का जीएसटी आईएन देते समय किसी डिजिट का गलत हो जाना। 2. वाहन सं0 अंकित करते समय किसी डिजिट का आगे पीछे हो जाना। 3. कम्पाउडिंग डीलर द्वारा बाहर बोर्ड पर यह घोशित नहीं किया जाना कि वह समाधान योजना के अन्तर्गत है।

   इसी प्रकार अन्य छोटी छोटी त्रुटियां होने पर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा जमानत राशि व जुर्माना में पैसा जमा कराया जाता है। हमारा निवेदन है कि अभी इस कानून के संबन्ध में सभी व्यापारियों को छोटे–छोटे प्रावधानों का ज्ञान नहीं है तथा कुछ भूलें लिपकीय त्रुटियों के कारण हो जाती हैं, और उसमें करापवंचना की कोई मंशा नहीं है। अतः निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में जुर्माना अथवा जमानत धनराशि जमा नहीं करानी चाहिए।

3. एसआईबी अधिकारियों के लिए एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) प्रेसक्राइब किया जाये ताकि स्पॉट पर जाकर उत्पीड़न न हो उसमें निम्नलिखित बातें भी प्रेसक्राइब की जायें।

   (ए) प्रोपर रीजन टू विलिव बताया जाये। [Reason to believe] एवं कापी दी जाये।

   (बी) जिस बिन्दु की जांच नोटिस जारी करके और डिटेल माँगकर की जा सकती है। उसके लिए एसआईबी की जांच द्वारा व्यापारी के स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

   (सी) यदि पहले या दूसरे स्तर के डीलर फेक हों तो चैन में सारे व्यापारी फेक होंगे, ऐसा मानना उचित नहीं है।

4. जीएसटीआर 2ए / 2बी जनवरी 2022 से लागू किया गया है। उससे पहले उसका कोई विधिक वजूद नहीं था। जीएसटीआर 2ए / 2बी में इसी के अनुसार कार्यवाही की जाये। अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जाये

कमशः————2

कि जीएसटीआर 2ए/2बी में कार्यवाही से पहले इसे पढ़ लिया जाये एवं सिर्फ जीएसटीआर 2ए/2बी के अन्तर के आधार पर कर आरोपित नहीं किया जाये। अन्य विधिक प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाये।

5. ट्रिबुनल स्थापित किये जाने की घोषणा हो चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि ट्रिबुनल की स्थापना शीघ्र की जाये ताकि उद्यमियों व व्यापारियों को राहत प्राप्त हो और सरकार के राजस्व में वृद्धि हो।

6. माल रोकने के बाद जी भी पेनल्टी (अर्थदण्ड) लगाया जाता है। उसकी अपील उसी प्रदेश तथा शहर में ही निर्धारित अधिकारी के समक्ष की जा सकती है, जो अत्यधिक परेशानी का विषय है, क्योंकि पहले व्यापारी उस शहर में माल छुड़ाने जावे, दुबारा अपील करने जाये तथा तीसरी बार अपील की सुरवाई के लिऐ जावे। इस प्रकार आप स्वयं ही करदाता की परेशानी, खर्चे का अन्दाज लगा सकते हैं। अतः रोके गये कागजात पंजीकृत व्यापारी के पंजीकृत शहर के अधिकारी के यहां भेज दिये जायें तथा अपील भी उसी शहर में करने का प्रोविजन होना चाहिए।

7. जीएसटी नवीन कर प्रणाली जुलाई 2017 से लागू की गई थी। इस नवीन कर प्रणाली के सम्बन्ध में उस समय पूरी जानकारी उद्यमियों एवं व्यापारियों को नहीं थी। बल्कि यहां तक कि अधिकारियों एवं कर विशेषज्ञों को भी पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसी दरम्यान जीएसटी के नियमों में अनेकों बार बदलाव किये गये। ऐसी विषम परिस्थितियों में न्यूनाधिक कमियां होना स्वाभाविक था। अधिकांशतः उद्यमियों एवं व्यापारियों की किसी भी प्रकार की कर देयता से बचने का कोई आशय नहीं था। परन्तु 5 वर्ष उपरांत 2017–18 एवं 2018–19 के अब विभागीय अधिकारियों द्वारा करदाताओं को ''कारण बताओं'' नोटिस भेजकर कार्यालय बुलाया जा रहा है। इससे उद्योग एवं व्यापार में व्यवधान आ रहा है। **इस सम्बन्ध में आपके द्वारा ट्रेड नोटिस जारी किया गया है। उससे करदाताओं को आंशिक राहत मिली है।** हमारा अनुरोध है कि छोटी राशियों वाले कर के नोटिस पूरी तरह समाप्त किये जाये और शेष नोटिस फेसलेस ही जारी किये जाये। जिनकी रिप्लाई ऑन लाइन ही मांगी जाये। उद्यमियों/व्यापारियों को कार्यालय नही बुलाया जाये। जिससे वे उत्पीड़न होने से बच सकें।

8. किसी नोटिस का रिप्लाई देने के लिए जो समय प्रदान किया जाता है उसके अगले दिन पोर्टल बंद कर दिया जाता है जिसमें कोई टैक्सपेयर किन्हीं कारणों से बन्द होने की तिथि पर रिप्लाई नहीं दे पाया है तो वह अगले दिन रिप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए अधिकारियों से मिलना पड़ता है। कोई अधिकारी तो पोर्टल खोल देता है और कोई अधिकारी एलाऊ नहीं करता है। हमारा निवेदन है कि अंतिम तिथि के बाद टैक्सपेयर को नोटिस रिप्लाई देने के लिए एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

9. सर्च के दौरान कर जमा करने के लिए कहा जाता है यह उचित नहीं है. इसमें टैक्स पेयर को परेशानी होती है। हमारा निवेदन है कि सर्च के दौरान कर जमा नहीं कराया जाए। उसके लिए समय प्रदान किया जाए।

सादर,

भवदीय,

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष

(अमर मित्तल)
पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमैन जीएसटी प्रकोष्ठ एवं
सदस्य–राज्य/केन्द्रीय जीएसटी ग्रीवेंस कमेटी